न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00356 (225/2011) 225 आरटीएक्ट
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतर जिला हनुमानगढ
– अपीलान्ट

बनाम

मंगतराम बनाम जीवणराम जाति सुथार सा0 रोडावाली तह0 हनुमानगढ
– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 13.08.2010
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर
प्रकरण संख्या 270/2008 बअनवानी मंगतराम बनाम राज. सरकार

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 17.07.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष चक नं. 3 जेडडब्ल्यूएम के प. नं. 116/381 (17) किला नं. 1 ता 24 की कुल 5.972 है0 भूमि आराजी 1955 से पूर्व की भूमि होने पर खातेदारी लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर वाद रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार विचारण न्यायालय ने धारा 15 एएए के तहत दिनांक 13.08.2010 को भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट भू धारक है एवं प्रकरण में आवश्यक पक्षकार एवं अहम जवाब देई रखता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार तो अवश्य बनाया है परन्तु साक्ष्य सुनवाई हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलाण्ट को नहीं दिया। पत्रावली पर कोई नोटिस अपीलाण्ट के नाम से जारीशुदा उपलब्ध नहीं है। जिस भूमि रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान की है वह भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संवत् 2012 से पूर्व रेस्पो0 अथवा उसके पूर्वज के लगातार कब्जा में होना सिद्ध नही होती है। खसरा मिलान क्षेत्र में अन्य काश्तकार का नाम अंकित है एवं लगातार खसरा गिरदावरी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है न ही शपथपत्र तस्दीकशुदा है। समस्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। इसलिए गलत खातेदारी दी गई है। प्रश्नगत भूमि के प्री–55 के होने सम्बन्धित कोई साक्ष्य नहीं था ना ही रेस्पो0 का लगातार काबिज होने का कोई सबूत था एवं बिना सिलिंग सीमा की जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट को बिना साक्ष्य सुनवाई नोटिस दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विधि परीक्षण होने के बाद श्रीमान जिला कलक्टर के निर्देश प्राप्त होने के बाद ज्ञान होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील पेश है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अपील प्रस्तुति में हुई देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपालाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम मियाद बिन्द पर बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.08.2010 के विरूद्ध अपील दिनांक 12.09.2011 लगभग वर्ष से भी अधिक अवधि के विलम्ब से प्रस्तुत की है। प्रार्थना–पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। जिला कल्क्टर द्वारा विधि परीक्षण के पश्चात् निर्देश प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत करने का आधार लिया गया है। जिला कलक्टर ने किस दिन निर्देश दिये यह अंकित नहीं किया है, किस दिन अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की यह अंकित नही है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक दिवस अपील में हुए विलम्ब का कारण नहीं बताया हैं। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट की प्री –55 की भूमि है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट से साबित है। प्रश्नगत भूमि पर सम्वत 2012 से अपीलाण्ट का लगातार कब्जा काश्त है। भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय ने पूर्ण जांच कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 13.08.2010 के विरूद्ध अपील दिनांक 12.09.2011 लगभग 1 वर्ष से भी अधिक अवधि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विलम्ब से प्रस्तुत की है। प्रार्थना–पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। जिला कल्क्टर द्वारा विधि परीक्षण के पश्चात् निर्देश प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत करने का आधार लिया गया है। जिला कलक्टर ने किस दिन निर्देश दिये यह अंकित नहीं किया है, किस दिन अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की यह अंकित नही है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक दिवस अपील में हुए विलम्ब का कारण नहीं बताया हैं। अपीलाधीन आदेश भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विस्तृत रिपार्ट दिनांक 25.01.2008 प्रस्तुत करने के बाद पारित किया गया है, जिससे यह साबित है कि अपीलांट प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी थी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2016 पेज 344 में राज्य पक्ष को मियाद के बिन्दू पर विशेष छूट देने का प्रावधान न होने का निर्धारण किया गया है। आरआरटी 2011 पेज 614 में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी स्पष्ट न करने व प्रकरण में कोई सारभूत कारण व प्रश्न न होने व अपील में गुणागवुण पर आधार न होने पर अपील मियाद पर खारिज करने का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तु अपल पूर्णतया मियाद बाहर व देरी को कोई उचित एवं स्पष्ट कारण प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं है एवं प्रार्थना–पत्र रिकार्ड के आधार पर भी साबित नहीं है, परन्तु अपील में मियाद के बिन्दू के साथ साथ गुणावगुण पर विवेचन करना भी उचित है।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 15 एएए आरटीएक्ट तहत चक 3 जेडडब्ल्यूएम की कुल 5.972 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आदेश में वर्णित भूमि के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.01.2008 के कॉलम हैसियत भूमि के कॉलम में आ.का. पूर्व का अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्री–55 की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीलिंग सीमा के संबंध में भी पूर्णतया जांच की है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई आधार अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेण्ट अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी न हो, भूमि 1955 से पूर्व की भूमि है एवं रेस्पोडेण्ट इस पर लगातार काबिज चला आ रहा है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जांच कर विधिवत रूप से धारा 15एएए आरटीएक्ट के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर एवं गुणावुण पर भी खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर होने के कारण तथा गुणागावुण पर भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 17.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

17.7.23

(करतार सिंह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ